3* महॅंगाई राहत

3.1 **पेंशनरों को महंगाई राहत –**

पेंशनरों को महंगाई राहत के पुनरीक्षण की दरों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश जारी किये जाते हैं ।

3.2 **पुनर्नियोजन के दौरान भुगतान –**

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की पुनर्नियुक्ति /पुनर्नियोजन की अवधि में महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता है । पुनर्नियुक्ति /पुनर्नियोजन समाप्त होने पर महंगाई राहत स्वतः ही पुनःस्थापित हो जाता है ।

3.3 **महंगाई राहत की गणना –**

सारांशिकरण के पूर्व की पेंशन पर महंगाई राहत की गणना की जाती है।

3.4 **रूपये का अपूर्ण भाग –**

राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जाता है ।

3.5 **सारांशीकरण पर राहत –**

यदि किसी पेंशनर ने पेंशन का सारांशीकरण कराया है तो मूल पेंशन पर सारांशीकरण भाग को कम किये बिना ही राहत देय होती है ।